

2018/00245

प्रपत्र-5

मूल वाद में डिक्री  
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, चौहटन  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट)

पीठासीन अधिकारी :- भूपेन्द्र कुमार माडव

टीकमराम S/O अलसाराम जाट  
चूकी देवी W/O भगवानाराम  
विश्वनोई

भगवती W/O आसुराम विश्वनोई उनवान  
जाति-विश्वनोई, नि-हालीवाव वनाम

दावा बाबत 88 RT Act

मुकदमा नम्बर :- 140/18

निर्णय दिनांक :- 13.6.18

वादी की ओर से भगवती की व प्रतिवादी की ओर से टीकमराम की  
उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 13-6-18 को..... (नाम पीठासीन अधिकारी).....  
उपखण्ड अधिकारी, ..... के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और  
डिक्री दी जाती है कि -

वादी का वाद आपसी सहमति से स्वीकार कर मौजा आकल के  
खेत ख.न 496/477 व 498/477 भूमि में वादी का नाम  
चनणी देवी W/O आसुराम इफ आसाराम के स्थान पर सुद्धनाम  
भगवती W/O आसुराम दुरुस्त करने की घोषणा की जाती है।  
निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार खेडवा को आदेशित  
किया जाता है।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 13-6-18 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



(Signature)  
पीठासीन अधिकारी  
उपखण्ड (SDO) चौहटन एवं  
पदेन सहायक कलक्टर,.....